120

III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3407

न्यायालय, माननीय सदस्य, महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा.

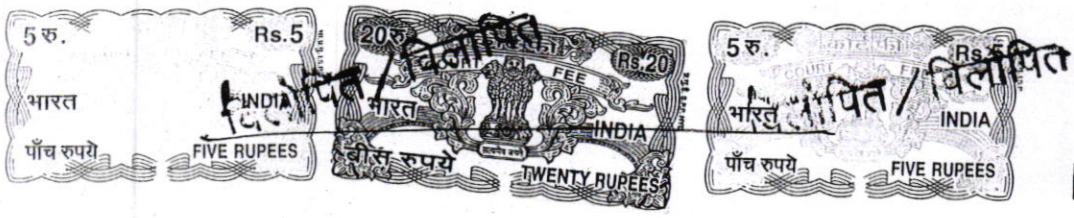

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित / विलोपित

Rs.30/-

1. लक्ष्मी तिवारी तनय स्व. मोहन प्रसाद तिवारी
2. सुरेन्द्र उर्फ रामसुमेर तनय स्व. मोहन प्रसाद तिवारी,

दोनो निवासी ग्राम–बिड़वा, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

आवेदक लक्ष्मी तिवारी
उत्तरदेय 20-9-17

------निगरानीकर्तागण

बनाम्

शासन म0प्र0 ------प्रत्यर्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्र. 157/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 21.08.2017.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि खनिज निरीक्षक रीवा द्वारा दिनांक 04.05.1992 को अपर जिलाध्यक्ष जिला–रीवा के न्यायालय में एक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम–डाढ़ी की शासकीय भूमि खसरा नं. 251 के अंश भाग में करीब 6 माह से ब्यापार हेतु चूना, पत्थर का अवैध उत्खनन निगरानीकर्तागण द्वारा किया जा रहा है। अवैध उत्खनन की मात्रा 717 मैट्रिक टन है, जिसकी रॉयल्टी 17,925/– रू. तथा बाजारू कीमत 25,095/– रूपये है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा प्रकरण क्र. 40/अ–67/91–92

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू0रा0/2017/3407

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18/07/18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 157/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खनिज निरीक्षक रीवा के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदकगण ने शासकीय भूमि से चूना–पत्थर लगभग 717 मे0टन का अवैध उत्खनन किया है जिस पर से अवैध उत्खनन करना सत्यापित होने के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 40 अ–67/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 6–8–1993 से आवेदकगण पर रू. 50,190/– अधिरोपित कर दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 331/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–8–1995 से अपर कलेक्टर रीवा का एकपक्षीय आदेश दिनांक 6–8–93 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया। अपर कलेक्टर रीवा को प्रकरण वापिस आने पर प्रकरण	

अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के न्यायालय निराकरण हेतु आने पर पुनः कार्यवाही प्रारंभ हुई एंव प्रकरण कमांक 41 अ 67/06–07 पर पॅजीबद्व किया गया तथा शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन प्रमाणित होने के आधार पर आदेश दिनांक 10–7–11 पारित किया गया एंव अवैध उत्खनन की बाजारू कीमत 25,095/–रू. का दोगुणा 50,190/–रू. आवेदकगण से वसूल किया जाना अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 10–7–11 के विरूद्व आवेदकगण ने प्रथम अपील कलैक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 33 अ 67/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 से अपील निरस्त कर दी। कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 9–8–2016 के विरूद्व आवेदकगण ने द्वित्तीय अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 157/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2017 से अपील निरस्त कर दी।

आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह गौर नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी हलका के एंव स्वतंत्र साक्षी ददई के कथनों पर परीक्षण करने के लिये न्यायालय में नहीं बुलाया, केवल खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर आदेश पारित करना गलत है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के प्रस्तुत उत्तर के तथ्यों पर कतई विचार नहीं किया है इसलिये निगरानी स्वीकार करके तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय एंव आवेदकगण को साक्ष्य एंव सुनवाई का मौका दिया जाय।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 21–8–2017 में इस प्रकार निर्णीत किया है :–

- कमिश्नर न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। प्रकरण में खनिज निरीक्षक के शपथ कथन न्यायालय में कराए गए हैं तथा अपीलार्थी पक्ष से प्रतिपरीक्षण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण की संपूर्ण विवेचना/साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अपीलार्थीण व्दारा भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया है।
- भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा 44 एंव 50 – आवेदकगण की मांग पर एक वार साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित । उन्हीं आधारों पर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण वापिस लौटाने पर विचार नहीं किया जा सकता।

म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 (7) इस प्रकार है –

धारा 47 (7) – कोई भी व्यक्ति , जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार व्दारा समनुदेषित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटाएगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही, जो कि उसके विरूद्व की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गए या हटाए गए खनिजों के बाजार मूल्य के (चार गुने) के हिसाव से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी।

(म0प्र0राजपत्र असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित संशोधन अधिनियम क–42 सन 2011 अनुसार सॅशोधित हुई है।

प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने शासकीय भूमि पर से बिना सक्षम अनुमति के चूना–पत्थर का अवैध उत्खनन किया है यदि आवेदकगण के साथ किसी प्रकार की

रियायत् पर विचार किया जाता है, तब इस प्रकार के अवैध उत्खनन् की प्रवृत्ति को बढ़ावे की संभावना प्रवल रहेगी, जिसके कारण आवेदकगण किसी प्रकार की रियायत् पर विचार के एंव सहानुभूति के पात्र नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 10–7–11, कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 9–8–2016 तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 21–8–2017 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 157/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य